

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक:— 28.10.2024

चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु सहायक आचार्य (Broad Speciality)—General Surgery के पदों के लिए सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु आयोग द्वारा दिनांक 05.05.2022 को संवीक्षा परीक्षा—2021 आयोजित की गई थी।

उक्त संवीक्षा परीक्षा के फलस्वरूप निम्नलिखित रोल नम्बर वाले अभ्यर्थियों को पात्रता की जाँच हेतु विचारित सूची (Provisional List of Candidates for Eligibility Checking) में अस्थाई रूप से समिलित किया जाता है—

रोल नम्बर

101001	101004	101005	101006	101008	101011
101015	101016	101017	101019	101020	101021
101023	101024	101027	101029	101030	101032
101033	101034	101035	101038	101039	101040
101041	101042	101043	101045	101046	101048
101049	101050	101051	101052	101053	101054
101055	101057	101058	101062	101063	101064
101065	101066	101067	101068	101069	101070
101076	101077	101079	101081	101084	101086
101087	101088	101091	101092	101093	101094
101098	101099	101100	101103	101105	101106
101107	101111	101112	101113	101114	101116
101117	101118	101119	101121	101123	101125
101126	101128	101131	101132	101133	101135
101137	101138	101139	101141	101143	101144
101145	101146	101150	101152	101153	101155
101158	101159	101161	101162	101163	101164
101167	101168	101169	101170	101174	101177
101179	101180	101181	101182	101184	101185
101187	101188	101190	101191	101192	101193
101194	101197	101198	101199	101201	101203
101204	101205	101211	101212	101213	101214
101215	101216	101217	101218	101219	101220
101221	101225	101226	101229	101230	101233
101235	101237	101238	101239	101240	101243
101244	101245	101246	101248	101249	101250
101254	101256	101257	101258	101259	101260
101262	101263	101264	101269	101271	101272
101274	101275	101277	101281	101282	101283
101284	101285	101286	101287	101290	101291
101292	101294	101296			

TOTAL CANDIDATES:- 183

यह सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है तथा यह साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों की सूची नहीं है। साक्षात्कार हेतु अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची दस्तावेज सत्यापन के पश्चात् जारी की जावेगी।

आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच विज्ञापन की शर्तों/नियमों के अनुसार की जावेगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता आयोग द्वारा रद्द कर दी जायेगी तथा पात्र पाये गये अभ्यर्थियों में से साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया जावेगा।

विस्तृत आवेदन पत्र/दस्तावेज सत्यापन के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को यथासमय सूचित कर दिया जायेगा।

(एस. एन. शर्मा)
वरिष्ठ उप सचिव